तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/टी.ए./1621/2003/पाली</u>** **रतन सिंह बनाम श्रीमती कमला व अन्य**	
20-9-19	**<u>एकल–पीठ</u>** **श्री सतीश चन्द्र गोदारा, सदस्य** **उपस्थितः–** (1) श्री गौरव दवे अभिभाषक प्रार्थी (2) श्री जी.एस.लखावत अभिभाषक अप्रार्थी **<u>निर्णय</u>** यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 230 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी पाली के निर्णय दिनांक 22–3–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी सोजत के न्यायालय में वाद पत्र में अंकित आराजी के बाबत एक नियमित वाद प्रस्तुत करते हुये उसके साथ अधिनियम की धारा 212 के तहत प्रार्थना पत्र वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई अपने निर्णय दिनांक 22–2–2003 के द्वारा प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अप्रार्थीगण को ता फैसला वाद पाबन्द किया कि खसरा नम्बर 364 व 365 में स्थित ट्यूबवैल से उसके हिस्से का पानी लेने से न रोके। उक्त निर्णय के विरूद्ध अप्रार्थीगण ने राजस्व अपील प्राधिकारी पाली के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 22–3–03 से अपील स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी सोजत द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–2–03को निरस्त कर दिया। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने निगरानी मीमो में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि विवादित बेरा कणुकी जिसके खसरा नम्बर 364 व 365 प्रार्थी व अप्रार्थी के पति व पिता गुमान सिंह के शामलाती का बेरा व सडा है जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थी का आधा आधा हिस्सा है जो कि राजस्व रेकार्ड से साबित है जिस पर दोनों की शामलाती मोटर व पाईप लाईन लगी हुई है और शामलाती ही उपयोग	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/टी.ए./1621/2003/पाली</u>** **रतन सिंह बनाम श्रीमती कमला व अन्य**	

उपभोग करते आ रहे हैं फिर भी अप्रार्थीगण अनाधिकृत रूप से प्रार्थी के ट्यूबवैल के पानी को अन्य लोगों को विक्रय करने पर आमादा है। इन्ही परिस्थितियों को मध्य नजर रखते हुये विचारण न्यायालय ने अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया था किन्तु राजस्व अपील प्राधिकारी ने उक्त तथ्यों को नजर अन्दाज कर अप्रार्थीगण की अपील को गलत रूप से स्वीकार किया है। संयुक्त खातेदारी की आराजी में एक सहकाश्तकार के पक्ष में और दूसरे सहकाश्तकार के विरूद्ध निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है। अपने कथन के समर्थन में आर आर डी 2000 पेज 373,2002 आर बी जे पेज47,2001 आर बी जे पेज 214 की नजीरें पेश की।

जबाब में अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि विवादग्रस्त कृषि भूमि में दो कुए बने हुये है जिसमें एक बेरा है एवं एक ट्यूबवैल है। उक्त भूमि यद्यपि संयुक्त खातेदारी की है परन्तु स्थल पर बटीं हुई है एवं उभय पक्ष अपनी अपनी बंटी हुई भूमि पर काबिज हैं। बंटी हुई सहखतोदारी की भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 ने एक ट्यूबवैल स्वयं के खर्चे से बनाया एवं बिजली की मोटर भी लगाई है। उक्त ट्यूबवैल से प्रार्थी को पानी लेने का कोई अधिकार नहीं है। विवादग्रस्त आराजी के तीसरे संयुक्त खातेदार श्री सफी मोहम्मद द्वारा प्रस्तुत बटवारे के दावा विचारण न्यायालय में विचाराधीन है। सफी मोहम्मद के उक्त दावे में भी अधिनियम की धारा 212 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से यथास्थिति के आदेश हैं जो आज भी प्रभावी हैं। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय किसी प्रकार का आदेश पारित करने के लिये सक्षम नहीं है। अतः निगरानी खारिज योग्य है।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का भी ससम्मानपूर्वक अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया।

पक्षकारों के स्वत्व एवं अधिकारों का निस्तारण मूल वाद में साक्ष्य के द्वारा होगा। अधिनियम की धारा 212 के प्रार्थना पत्र में मुख्य रूप से तीन घटकों प्रथम दृष्ट्या केस, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णनीय क्षति के बाबत मुख्य रूप से विचार किया जाना है। विचारण न्यायालय ने बाद

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/टी.ए./1621/2003/पाली</u>** **रतन सिंह बनाम श्रीमती कमला व अन्य**	

सुनवाई अपने निर्णय दिनांक 22-2-2003 के द्वारा प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अप्रार्थीगण को ता फैसला वाद पाबन्द किया कि खसरा नम्बर 364 व 365 में स्थित ट्यूबवैल से उसके हिस्से का पानी लेने से न रोके। उक्त निर्णय के विरूद्ध अप्रार्थीगण ने राजस्व अपील प्राधिकारी पाली के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 22-3-03 से अपील स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी सोजत द्वारा पारित आदेश दिनांक 22-2-03को निरस्त कर दिया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि विवादग्रस्त आराजी के तीसरे संयुक्त खातेदार श्री सफी मोहम्मद द्वारा प्रस्तुत बटवारे का दावा विचारण न्यायालय में विचाराधीन है। सफी मोहम्मद के उक्त दावे में भी अधिनियम की धारा 212 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसे मण्डल ने निरस्त कर दिया था एवं वर्तमान में कार्यवाही माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से यथास्थिति के आदेश हैं जो आज भी प्रभावी हैं। इस प्रकार मूल बटवारे के वाद में प्रत्येक पक्षकार का हक, हिस्सा तय होना शेष है। निगरानी का दायरा सीमित होता है। निगरानी के स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में तभी हस्तक्षेप किया जा सकता है जबकि क्षेत्राकिधार सम्बन्धी त्रुटि की गई हो अथवा विधि की व्याख्या करने में भूल की गई हो। उक्त विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुये अपीलीय न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। जिसमें निगरानी के स्तर पर किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसरण में यह निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सतीश चन्द्र गोदारा)
सदस्य